

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- कमल राम मीना, आर० ए० एस०)

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या :- 8/13

उनवान :-

- 1 पप्पू उर्फ मोहनलाल पुत्र महादेव वगैरा जाति अहीर निवासीयान ग्राम दहमी तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान:-----अपीलांट  
बनाम
- 1 भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये एस०डी०ओ० बहरोड:----- रेस्प०


प्रार्थना पत्र बाबत पुनः नम्बर पर लिये जाने  
अपील सं० 06/2007

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी अपीलांट :- श्री रामेश्वर दयाल  
2. राजकय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 16.10.2019

- 1 यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र अदालत हाजा की मूल अपील संख्या 06/2007 को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।
- 2 तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने मूल अपील संख्या 06/2007 अदालत हाजा में तहत न्यायालय भू आवंटन एवं विनियमन सलाहकार समिति बहरोड के

  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

निर्णय दिनांक 29.6.2002 के खिलाफ प्रस्तुत की थी। उक्त अपील दिनांक 12.12.2012 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गई थी, जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थी अपीलांट ने यह रेस्टोरेशन प्रस्तुत किया है।

3 विद्वान वकील अपीलांट प्रार्थी का बहस में कथन है कि अपीलांट काश्तकार पेशा है, जो हर पे शी पर उपस्थित नहीं होते थे। इसलिये सम्पूर्ण जिम्मेदारी वकील को दे रखी थी। वकील दीगर न्यायालय में उपस्थित थे, इस कारण उक्त अपील में पैरवी हेतु वे अदालत हाजा में उपस्थित नहीं हो सके थे। जिस कारण से अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी। अपीलांट नेक नियती से अपनी अपील में पैरवी करना चाहता है। अपील खारिज होने की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी थी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई है। इसलिये मैंने प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम संलग्न किया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार कर प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन स्वीकार किया जावे।

4 जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थी राजकीय अभिभाषक का कथन है कि इनको अपील खारिज होने की पूर्ण जानकारी थी, परन्तु इन्होंने समय पर बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब युक्तियुक्त कारण बताये जावें। इन्होंने संतोषजनक कारण नहीं बताया है। अतः मियाद बिन्दू पर ही प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उन्होंने आगे तर्क दिये कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र में ऐसे ठोस कारण नहीं बताये गये हैं, जिनके परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सके। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी अपीलांट की बहस तर्कों पर विश्वास करते हुये लिबरल व्यू अपनाया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

6 पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त न्याय हित में यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील संख्या 6/2007 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमलराम मीना)

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
सहायक प्रार्थी अधिकारी, अदालत